REET 2025 LEVEL-2

वंदन बैच

POLITY

मूल अधिकार

Part -5

LIVE 10-01-2024 07:00 PM

धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार [अनु. 25-28]

अनु. 25 → धर्म की अन्तःकरण की स्वतंत्रता
→ धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार
→ प्रचार-प्रसार का अधिकार

* सिख धर्म को कृपाण धारण करने का अधिकार इसी अनुच्छेद में।

अनु. 26 → धार्मिक कार्यों व कार्यक्रमों के प्रबंधन (management) कि स्वतंत्रता

अनु. 27 - धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर (tax) में छुट

अनु. 28 → राज्य निधी से पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नही दि जायेगी

संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार [अनु. 29-30]

अनु. 29 भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार

→ राज्य निधी से पोषित शिक्षण संस्थान में धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा।

अनु. 30 → धर्म व भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित व प्रशासन का अधिकार

Ex → मदरसा

* भारत में अल्पसंख्यक
- बौद्ध
- सिख
- मुस्लिम
- ईसाई
- पारसी
- जैन → 2014

(बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी — 1992)

संवैधानिक उपचारों का अधिकार → अनु. 32

अनु. 32 → संवैधानिक उपचारों का अधिकार

→ यह मूल अधिकार अन्य सभी मूल अधिकारों की गारन्टी देता है।

* डॉ. भीम राव अम्बेडकर द्वारा अनु. 32 को भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा।

इस अनुच्छेद के तहत पांच प्रकार की writ (याचिका) जारी की जाती है।

① बन्दी प्रत्यक्षीकरण = अर्थ → सशरीर पेश करना

② परमादेश → अर्थ → आदेश देना

③ प्रतिषेध → अर्थ → रोकना या मना करना [मामला लम्बित है]

④ उत्प्रेषण → अर्थ → सूचना देना [फैसला सुना दिया गया]

⑤ अधिकार पृच्छा → अर्थ = तुम्हें क्या अधिकार है।

अनु. 33 → मूल अधिकार, सैन्य बल, अर्द्ध सैन्य बल, आसूचना व पुलिस आदि के मूल अधिकारो में कटौती की जा सकती है।

अनु. 34 → जिस क्षेत्र में सैन्य कानून [मार्शल लॉ] लागु है वहा पर मूल अधिकारो में कटौती कि जा सकती है।

अनु. 35 → मूल अधिकारो से संबंधित कानून केवल संसद बनायेगी

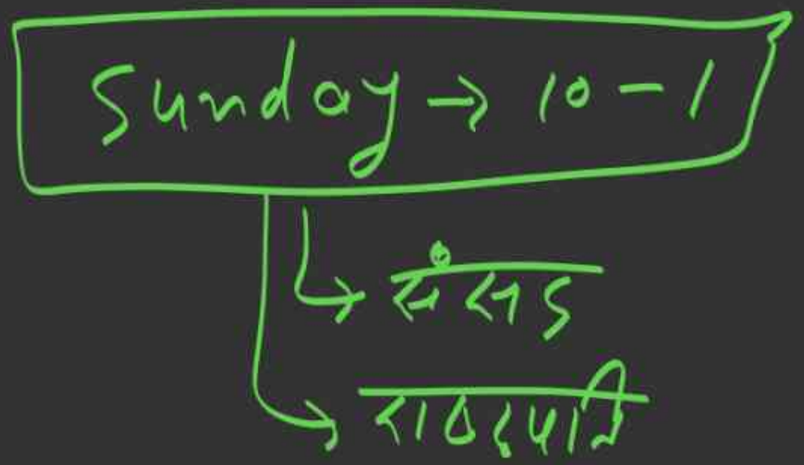
Sunday → 10-1